—: आदेश :—

दिनांक 13/04/2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 452 पर अंकित आराजी संख्या 1344/621 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1345/624 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 432 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, आराजी संख्या 467 रकबा 0.7284 हैक्टेयर, आराजी संख्या 617 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, आराजी संख्या 618 रकबा 0.2104 हैक्टेयर, कुल किता 6 रकबा 2.3148 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू—अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **उक्त वर्णित भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /— रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 32/2022

तारीख दायर 24.3.2022

1. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति सैन उम्र वयस्क निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कृष्णा देवी पत्नि गोकुल प्रसाद जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गोपालनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम ....प्रार्थीगण

1. रमेश पुत्र नाथु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जोलास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाश पुत्र मदनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24.3.22

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 6 पर अंकित आराजी संख्या 509/464 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर शामलाती में खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है** विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 207 –207 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम जोलास पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 6 पर अंकित आराजी संख्या 509/464 रकबा 0.8094 हैक्टेयर** भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ